समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी प्र0क0 निगरानी-2800/2018/कटनी/भू.रा

1— छदामी पुत्र विशाली
2— मिधियाबाई पत्नी स्व0 विशाली
3— सोनेलाल पुत्र विशाली (मृत) वारिसान —
   (अ) श्रीमती गौराबाई पत्नि स्व0 श्री सोनेलाल
   (ब) सुरेश कोल पिता स्व0 श्री सोनेलाल
   (अ) संजू कोल पिता स्व0 श्री सोनेलाल
   (अ) श्याम बाई कोल पुत्री स्व. श्री सोनेलाल
   (अ) सियाबाई कोल पुत्री स्व0 श्री सोनेलाल
सभी निवासीगण ग्राम कन्हवारा
तहसील व जिला कटनी म0प्र0 ———— आवेदकगण

विरूद्ध

1— श्री लकी सचदेवा पुत्र श्री सुरेश सचदेवा
निवासी दुबे कालोनी कटनी,
तहसील व जिला कटनी

2— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, कटनी ———— प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ—21/16—17 में पारित आदेश दिनांक 6—3—18 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :—

तथ्य

1— यहकि आवेदक कमांक 1 एवं अन्य सहखातेदारों द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम मदनपुरा प0ह0नं0 12 रा0नि0मं0 मुडवारा—2 खसरा नं0 140 रकबा 1.550 हैक्टर को विकय करने हेतु आवेदन कलेक्टर, कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी, कटनी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2800/2018/कटनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर,कटनी द्वारा प्र0क्र0 16/अ-21/16-17 में पारित दिनांक 6-3-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति का है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा यह मानते हुए कि पक्षकारों को प्रकरण चलनशीलता में रूचि नहीं है प्रकरण दिनांक 6-3-18 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधारों पर न करते हुए गुणदोषों पर करना चाहिए था,जो न करने में उनके द्वारा त्रुटि की गई है । अत: इस प्रकरण् का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3/ प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि के विक्रय की अनुमति से संबंधित है, जो आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में आवेदक क्रमांक 1 एवं अन्य सहखातेदारों द्वारा अपने स्वामित्व एवं	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम मदनपुरा प0ह0नं0 12 रा0नि0मं0 मुड़वारा-2 खसरा नं0 140 रकबा 1.550 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक-1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति की सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 3.79 हैक्टर भूमि अन्य ग्राम में शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: कलेक्टर, कटनी द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06-3-18 निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम मदनपुरा प0ह0नं0 12 रा0नि0मं0 मुड़वारा-2 खसरा नं0 140 रकबा 1.550 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदकगण को अदा किया जायेगा । उप	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2800/2018/कटनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	